फर्द अहकाम

लाल्या उर्फ लालराम बनाम कैलाशचन्द

नाम न्यायालय A-cm बस्ती

केस संख्या 144/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/10/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 24/10/24 को पेश हो।
	24/10/24	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रा०पत्र एवं जवाब प्रा०पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हेतु उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा न. 103 रकबा 1.2519 हेक्टे, ख.न. 107 रकबा 0.1391 हेक्टे कुल किता 2 कुल

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय ACM बस्सी — मालुराम उर्फ लालाराम बनाम कैलाशचन्द

केस संख्या 144/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		रकबा 1.3910 हैक्टर व खसरा नं. 104 रकबा 0.0632 हैक्टर, ख. नं. 105 रकबा 0.0379 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1021 हैक्टर स्थित ग्राम बुरलपुरा तह- तूंगा जि. जयपुर का मूलवाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण	